तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 201 / 2025 लक्की बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक के निवेदन पर बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 38, 39, 42, 43, 44 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.69 है0 भूमि अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम लवली गलत दर्ज हो गया जबकि उनका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में लक्की है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। वकील प्रार्थीगण को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा तहसीलदार रिपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न समस्त दस्तावेजों से प्रार्थी का नाम लक्की साबित होता है। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 38, 39, 42, 43, 44 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.69 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम लवली पुत्र शिशराम की बजाय लक्की पुत्र शीशराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। 11/07/25 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	